

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेंट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 47/2019 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री वासुदेव पंचोली निवासी वार्ड नं. 07 शास्त्री नगर, गंगापुर जिला भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर भीलवाडा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय


दिनांक : 04.07.2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के विरुद्ध दिनांक 21.05.2019 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 41 एफ 429476 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 10.04.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10.04.2019 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 30.05.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के पत्रांक/विविध/आरटीआई/2019/447 दिनांक 02.07.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी जाने से अपील निरस्त किये जाने योग्य ठहरती है।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 04.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेंट अधिकारी
भीलवाडा